



# राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

रा.रा.मार्ग नं.-8 बड़लिया चौराहा, नारेली मंदिर के पास,

अजमेर, 305025

Website: [www.ecajmer.ac.in](http://www.ecajmer.ac.in)

E-mail : [principal@ecajmer.ac.in](mailto:principal@ecajmer.ac.in)

Telephone : 0145-2971024

राअमअ/2018/ 64

दिनांक 19.05.18

## कार्यालय आदेश

प्राचार्य कार्यालय में महाविद्यालय के TEQIP-III के अर्न्तगत महाविद्यालय में कुछ फर्नीचर एवं अन्य इत्यादि का सामान क्रय करने बाबत दिनांक 18.05.2018 को दोपहर 01.00 बजे ई.सी.ई विभाग की बैठक आहूत की गई थी। बैठक में निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुये हैं:-


- 1 श्री दौलत सिंह दायमा, उप कुलसचिव, वित्त
- 2 डॉ. उमाशंकर मोदानी, विभागाध्यक्ष, ईसीई विभाग, TEQIP-III समन्वयक
- 3 डॉ. चन्दन शर्मा, मेकेनिकल विभाग, स्टोर प्रभारी
- 4 डॉ. मनीष बदलानी, एम.बी.ए विभाग, नोडल आफिसर, वित्त TEQIP-III
- 5 श्री रविन्द्र सिंह, कम्प्युटर विभाग, क्रय अधिकारी TEQIP-III
- 6 डॉ. दिपक झवंर, ई.सी.ई विभाग
- 7 श्री अनुराग गर्ग, ई.सी.ई विभाग
- 8 श्री हरीश शर्मा, ई.सी.ई विभाग
- 9 श्री ललित कुमार दुसाद, ई.सी.ई विभाग

- (1) बैठक के अन्दर यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक विभाग/यूनिट के प्रस्ताव बैठक में ही प्राचार्य द्वारा स्वीकृत कर संबंधित विभागाध्यक्ष को दिये जायेगे, जो एक कार्य दिवस के भीतर ही एन ओ पी, TEQIP-III के माध्यम से प्रसारित करेगे तथा विक्रेताओं से प्रस्ताव माँगने का कार्य पूर्ण करेगे।
- (2) न्यूनतम 15 दिवस के पश्चात उक्त प्रस्ताव पर विक्रेताओं से प्राप्त लिफाफे क्रय समिति द्वारा खोले जायेगे तथा कमबद्ध तरीके से लगाकर संबंधित विभागाध्यक्ष को तुलनात्मक विवरण तैयार करने हेतु तथा तकनीकी समिति के माध्यम से तकनीकी रूप से सक्षम प्रस्तावों को ही अनुशासित करने हेतु अधिकृत किया जायेगा
- (3) तुलनात्मक विवरण का क्रय समिति के समक्ष रखे जाने पर क्रय समिति मूल्य, कर तथा अन्य शर्तों /नियमों का अध्ययन कर, न्यूनतम क्रय मूल्य (सभी कर तथा अन्य व्यय जोड़कर) वाले प्रस्ताव को स्वीकृत करेगी तथा एन ओ पी, TEQIP-III को क्रय आदेश जारी करने हेतु अधिकृत करेगी। क्रय आदेश जारी होने की तिथि से नियत समय में यदि विक्रेता द्वारा आपूर्ति नहीं करता है तो क्रय समिति नियमानुसार निर्णय लेकर, आपूर्ति हेतु प्रयास करेगी।
- (4) TEQIP-III के नियमों में तथा नियमों के अभाव में एन पी आई यू के द्वारा मार्गदर्शन लिया जायेगा, आपूर्ति होने के पश्चात विभाग द्वारा तकनीकी समिति के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित कर, क्रय मूल्य, क्रय आदेश के अनुसार जारी करने की अनुशंसा की जावेगी, जिस पर TEQIP-III, नोडल आफिसर, वित्त के द्वारा कार्यवाही की जावेगी, शेष राशि का संबंधित विभागाध्यक्ष सन्तुष्टि का कारक परिचालन सत्यापित करने के पश्चात ही जारी किया जायेगा।

21/05/2018/856-867

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 समस्त उपरोक्तानुसार अधिकारीयो/कर्मचारीयो को पालनार्थ
- 2 समस्त विभागाध्यक्षो को पालनार्थ
- 3 मुख्य समन्वयक, TEQIP-III राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 4 रक्षक पत्रावली

  
प्राचार्य